

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-71/2020-21

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सुशील कुमार महतो बनाम श्रीमती आलोमनी कुमारी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सुशील कुमार महतो पिता-स्व० बैजनाथ महतो,
ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु,
थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची,
झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

श्रीमती आलोमनी कुमारी पति-श्री दुलाल महतो,
ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु,
थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची,
झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-06/10/2020 को आवेदन देकर छ० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता श्रीमती आलोमनी कुमारी पति-श्री दुलाल महतो, ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोलमा	सोनाहातु/85	15	806	14 डी० चौहददी:- उ०-विक्रेता नीज। द०-डोमन महतो। पू०-निरंजन महतो। प०-डोमन महतो।
		64	787	10 डी० चौहददी:- उ०-डोमन महतो।

				<p>द०-विक्रेता नीज । पू०-निरंजन महतो । प०-दुलाल महतो वो पशुपति महतो ।</p>
--	--	--	--	---

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-830(ii) दिनांक-18/11/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत खाता नं० 15 चमरू महतो वो मगलु महतो एवं खाता नं० 64 शमल गोआर वो भीखू गोआर वो लखीराम गोवार वो वेआर गोआर पे० मांझी गोवार के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता पंजी-II रैयत के वंशज पोता है।

(3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम खाता नं० 15 में शिवनाथ महतो वगैरह है, तथा रैयत के पास कुल रकबा-17.78 ए० खतियानी भूमि है। एवं खाता नं० 64 में सयनाथ महतो वो जयनाथ महतो है, तथा रकबा-36 डी० खरीदगी भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी खाता नं० 15 में वर्ष 20-21 तक एवं खाता नं० 64 में वर्ष 18-19 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा-पोता का है। तथा खाता नं० 15 खतियानी भूमि एवं खाता नं० 64 खरीदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-17.90 ए० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो सोनाहातु थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता सुशील कुमार महतो पिता-स्व० बैजनाथ महतो, ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती, को क्रेता श्रीमती आलोमनी कुमारी पति-श्री दुलाल महतो, ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-06/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सुशील कुमार महतो पिता-स्व० बैजनाथ महतो, ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-खेती, को क्रेता श्रीमती आलोमनी कुमारी पति-श्री दुलाल महतो, ग्राम-कोलमा चुतरुडीह, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी (महतो) पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोलमा	सोनाहातु/85	15	806	14 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-विक्रेता नीज। द०-डोमन महतो। पू०-निरंजन महतो। प०-डोमन महतो।
		64	787	10 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-डोमन महतो। द०-विक्रेता नीज। पू०-निरंजन महतो। प०-दुलाल महतो वो पशुपति महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।